for grant of Letters of Intent/Licences for setting up of new sugar factories in the country are pending with the Union Government, (as on 23.3.90) of which 29 pertain to Maharashtra State-all in Co-operative Sector. The decision on these applications is likely to be taken shortly.

Covering of Nullah in Laxmibai Nagar

2215. SHRI PRITHIBI MAJHI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the increase in flies and mosquitoes and incidence of malaria caused by the big open Nullah passing through Laxmibai Nagar, a Government colony in New Delhi; and

(b) if so, what preventive steps have been taken in this regard by Government and to speed up the construction work to cover big open nullah in order to control the above menace?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) The NDMC has reported that the increase in mosquitoes and flies is seasonal. To combat this menace anti larval work and pre-monsoon deweeding are regularly done. Plans for covering the nullah in a phased manner over the next two years have already been finalised.

हरियाणा में दलितों पर किये गये अत्याचारों के प्रति विरोध

2216. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जनवरी, 1990 को, दि टाइम्स आफ इंडिया, में "प्रोटेस्ट अगेंस्ट एट्रासिटीज आन हरियाणा दलित" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हरियाणा में दलितों और समाज के पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) दलितों और पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

अन्न और कल्याण मंत्री (श्री भार शिवाजी पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हरियाणा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 11 जनवरी, 1990 को "दि टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित घटना हरियाणा राज्य की स्थानीय पुलिस के ध्यान में नहीं आई है।

(घ) पीड़ितों जिनमें काफी संख्या में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, पर अत्याचारों के निवारण, अत्याचार करने वाले अपराधियों को दण्ड देने तथा उन्हें राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए एहतियाती, दण्डात्मक तथा पुनर्वासात्मक स्वरूप के उपायों के रूप में व्यापक दिशानिर्देश हैं जिनका राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को पालन करना होता है।

भारत सरकार ने हाल ही में एक नया विधान "अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989" बनाया है और यह 30-1-1990 को लागू हो गया है। अधिनियम में विशेष न्यायालयों तथा विशेष लोक अभियोजकों जैसा कारगर तंत्र प्रदान किया गया है और अपराधों में शीघ्र मुकदमा चलाने और अत्याचार करने वाले व्यक्तियों तथा सरकारी कर्मचारियों, जो अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं, को कठोर दण्ड देने की व्यवस्था है। राज्य सरकारों को जहां कहीं, दिन-प्रतिदिन के मुकदमों के लिए आवश्यक हो, विशिष्ट न्यायालय प्रदान

करने और शीघ्र निर्णय लेने की सलाह दी जा रही है ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की रोकथाम हो। पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान उपलब्ध हैं और कानून प्रवर्तन प्राधिकारी उनके मामलों पर कार्यवाही करते हैं।

Constitution of District Forum under Consumer Protection Act

2217. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the District Forum under Consumer Protection Act, 1986 are likely to be constituted in Uttar Pradesh and other States as per Direction of the Supreme Court;

(b) if so, whether it is also a fact that the States have not followed the direction of the Supreme Court; and

(c) if so, what are the reasons for not complying with the direction of the Supreme Court?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) to (c) Supreme Court in its hearing dated 19-9-89, 15-11-89 and 17-1-90 has issued directives to States and Union Territories to expedite the setting up of redressal agencies under the Consumer Protection Act, 1986. All the States and Union Territories have initiated action. As per latest information available the redressal agencies have started functioning in 15 States/UTs including Uttar Pradesh. 12 States/UTs have notified them. In addition, Central Government has conveyed its approval to 4 more States and Union Territories to set up these agencies. The Act does not extend to State of Jammu & Kashmir.

रेलवे स्टेशनों का माडल स्टेशनों के रूप में विकास

2218. श्री इसर प्रकाश गारलंगिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन रेलवे स्टेशनों को माडल रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है और इस दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इलाहाबाद (उ० रे०) और इलाहाबाद (पू० उ० रे०) स्टेशनों को माडल स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस) : (क) माडल स्टेशनों की रेलवेवार सूची दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। (सभा पटल पर रखा गया देखिए) इन सभी स्टेशनों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है तथा प्रगति भिन्न-भिन्न चरणों में है। आशा है कि ये कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना के मध्य तक पूरे हो जाएंगे बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। स्टेशनों का आधुनीकरण करते समय, सभी बुनियादी सुविधाओं और आवश्यकता पर आधारित कार्य संचालन ढांचे की व्यवस्था करने पर जोर दिया जायेगा, न कि अधिक महंगे अभिकल्प सामग्रियों पर।

(ख) इलाहाबाद (उत्तर रेलवे) और इलाहाबाद (पूर्वोत्तर रेलवे,) दोनों स्टेशनों को माडल स्टेशनों के रूप में विकसित किये जाने के लिए चुना गया है और इन स्टेशनों पर कार्य की प्रगति विभिन्न चरणों में है।